न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय

राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प भोपाल

निगरानी प्रकरण क्रमांक : ....
PBR/निगरानी/राजगढ़/भू.रा/2018/1050

हीरालाल आत्मज प्रभुलाल
वयस्क, निवासी – ग्राम तरेनी,
तहसील ब्यावरा, ज़िला राजगढ़ .... **प्रार्थी**

विरूद्ध

01. नन्नू आत्मज पुनिया, वयस्क
02. गोलू आत्मज पुनिया, वयस्क
03. ममता बाई पुत्री पुनिया, वयस्क
04. लीला बाई पुत्री पुनिया, वयस्क
05. ललता बाई पुत्री पुनिया, वयस्क
06. बादाम बाई पत्नी स्व. पुनिया, वयस्क

समस्त निवासी – ग्राम तरेनी,
तहसील ब्यावरा, ज़िला राजगढ़ .... **प्रतिप्रार्थीगण**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.11.2017, जो प्रकरण क्र. 21/अपील/2009–10 में न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित किया गया।

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत है :–

तथ्य

01. यह कि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम तरेनी स्थित भूमि खसरा क्र. 25/4, 25/23, कुल क़िता 02 कुल रकबा 2.730 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के भाई पुनिया के नाम पर अंकित थी, जो उसकी मृत्यु उपरांत वर्तमान में प्रतिप्रार्थीगण के नाम पर अंकित हो गई है।

02. यह कि, उक्त भूमि में अपीलार्थी का हिस्सा 1/2 का है, जिस पर वह काबिज़ हो लगभग 45–50 वर्षों से कृषि कार्य करता चला आ रहा है। उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी द्वारा कब्ज़ा दर्ज़ किये जाने का आदेश प्रस्तुत किया गया, जो निरस्त कर दिया गया।

निरंतर ....

ब्रज किशोर श्रीवास्तव
एडवोकेट
25, हरि निवास "दुर्गा चौक"
तलैया, भोपाल

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक अध्यक्ष/निगरानी/राजगढ़/भूरा/2018/1050

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
03/07/18	आवेदक के अधिवक्ता श्री व्ही0 के0 गुप्ता उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण कमांक 21/अपील/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 30.11.17 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि आवेदक का हिस्सा 1/2 का है जिस पर वह काबिज वह लगभग 45–50 वर्षो से कृषि कार्य करता चला आ रहा है इसलिये अभिलेखों में कब्जा दर्ज किये जाने का अनुरोध किया गया है। 3–आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय में ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें कब्जा के आधार पर उसका नाम इन्द्राज किया जावे। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके आधार पर आवेदक का कब्जा दर्ज किया जावे। अपर आयुक्त के आदेश में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अतः उनका आदेश स्थिर रखा जाता है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अग्राह की जाती है। सदस्य	